न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 12 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. जैतमालसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह **बनाम** 1.जुसवखान पुत्र रतेखान वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री दुर्जनसिंह राठौड़ प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से
3. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 26.03.2021

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि मौजा पिथोरानगर, जोरानाड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 723 रकबा 37.08 बीघा एवं खसरा संख्या 960 / 722 रकबा 23.00 बीघा भूमि की उतरदातागण संख्या 01 व 02 के पक्ष में खातेदारी की घोषणा पत्रावली पर आये तथ्यों एवं दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए पारित की गई। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त एवं ढाणियां बना कर रहवास है एवं अपीलांट उक्त भूमि का लगान समय पर सरकार को कई वर्षों से देता आया है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंटगण ने तथ्यों को छुपाकर अपने नाम करवा दी जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार देना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दायर कर रखी है एक ही वादग्रस्त आराजी को लेकर है। अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट का खसरा गिरदावरी संवत 2028–2031, खसरा गिरदावरी संवत 2032–2035, खसरा गिरदावरी संवत 2036–2039, खसरा गिरदावरी सवंत 2040–2043, खसरा गिरदावरी संवत 2044–2047 उक्त समस्त राजस्व रिकॉर्ड से यह साबित है कि मूल खसरा संख्या 722 रकबा 105 बीघा था, जिसमें बट्टा नंबर पड़ने के पश्चात खसरा संख्या 722 का शेष रकबा 67 बीघा भूमि पर अपीलांट एवं अपीलांट के पिता सरदारसिंह का कब्जा काश्त रहा है जो वर्तमान में इनकी खातेदारी में है। जबकि खसरा संख्या 723 रकबा 37.08 बीघा एवं खसरा संख्या 060/722 रकबा 23.00 बीघा की भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का हित किसी प्रकार से निहित है इस संबंध में किसी प्रकार का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। रेस्पोडेंट को यह भूमि 09.12.2017 को दावे में डिक्री होकर खातेदारी में मिली है जो राजकीय सिवायचक भूमि है। जिसमें अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, न ही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर